

प्रेमक,

श्री अशोक भांगुली,
उप. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक

सचिव,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक 2, संजय भवन,
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अंश

संलग्न दिनांक: 8 सितम्बर, 1993

विषय:- हेरो प्रोपेटररी स्कूल रामपुर भाग बरेली को सी.बी.एस.टी. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कलने का निदेश हुआ है कि हेरो प्रोपेटररी स्कूल रामपुर भाग बरेली को सी.बी.एस.टी. नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अर्थान् आपत्ति नहीं है।

- 111 विद्यालय की वंजीकृत सीताबटी का सम्य समय पर नवीनाकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रशिक्षण स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जातजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किला अनुदान का मांग नहीं की जायेगा और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/श्रीलाल फार दि इन्डियन स्कूल सी.बी.एस.टी. इण्डिया/मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से पारबन्ध से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 151 संस्था के लिए एवं शिक्षणरत्न कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेलमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिले जायेंगे।

..... 2/-

16। कर्मचारियों की सेवा शीघ्र क्लायी कामेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहायकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

17। राज्य सरकार द्वारा तय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का 'रिजिस्ट्रार' निर्धारित प्रपत्र/ फॉर्मिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के दिना कीर्ति परिवर्तन/ लीगेशन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- 1क। उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र के आधार पर दिया जा रहा है कि विद्यालय में सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रामाणिक कार्यरत हैं। अतः प्रारम्भिक चरण हुआ कि संस्था द्वारा प्रदान किये जाने के पूर्व आप द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था में कोई भी अप्रामाणिक अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत नहीं है तथा विद्यालय में मानकानुसंग शिक्षण एवं तथा अन्य का उपलब्ध है।

1क। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था में कार्यरत सभी शिक्षण अधिकतर कर्मचारियों को वेतन नियमानुसार/मानकानुसंग दिया जा रहा है।

1ग। अनापत्ति प्रमाण पत्र किये जाने का प्रस्तुत आदेश संबंधित विद्यालय द्वारा दायर की गई मांग उच्च न्यायालय में लम्बित या विका संख्या 42654/92 हेतु प्रीपैरेटरी रकूल धरती अनापत्ति आदेश सरकार तथा अन्य में होने वाले अंतिम निर्णयों अपेक्षों के अधीन होगा।

3- उक्त प्रतिक्रिया का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। आर्यु गौरी।
उप निधि।

पुनर्मा 4014111/15-7-1993 तारिखिक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यह आग्रह है प्रेषित कि सुपना विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के संबंध में प्रतिक्रिया का तत्पश्चात् कर आठवा मासु, 2093 मास के भीतर उपलब्ध कराये।

PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY

- 2- मसुदा की प्रत भिजा विवेक करनी ।
- 3- जिना विद्यालय विहीन, करनी ।
- 4- विहीन, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, गुरुकुल ।
- 5- प्रथम, द्वितीय प्रीतिरेखी शुरू करनी ।
- 6- उच्च स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय अलाहाबाद को रिट संख्या-
42854/92 के संदर्भ में ।

अर्थात् से,

Sharma

अधिवक्ता संस्थान।
उच्च न्यायालय।

Nehalini

PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY